छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

''कमल विहार - प्रधानमंत्री आवास योजना''

कमल विहार

संपदा प्रबंधन, प्रक्षेत्र-4, रायपुर

आवासीय फ्लैट, पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र

विज्ञापन अनुसार पंजीयन अवधि .... से ....

श्री... को यह आवेदन पत्र रसीद क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा ....में प्रस्तावित योजना के अंतर्गत .... भवन के पंजीयन के लिए ई.डब्ल्यू.एस. हेतु रु. 200.00 एल.आई.जी. हेतु रु. 300.00 भुगतान प्राप्त कर प्रदान किया जाता है।

संपदा अधिकारी
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4,
शंकर नगर, रायपुर

प्रति,

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, शंकर नगर, रायपुर

पंजीयन क्रमांक :- ....
भवन क्रमांक :- ....

महोदय,

मैं प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत कमल विहार, रायपुर में आबंटन के लिए स्ववित्तीय आधार पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. फ्लैट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

पासपोर्ट फोटो

आवेदक के संबंध में विस्तृत विवरण

1. आवेदक का नाम : ____________________
2. पिता/पति का नाम : ____________________
3. जन्म तिथि : ____________________ आयु : ____________________
4. पूर्ण पता : ____________________
5. आधार कार्ड नं. (अनिवार्य) : ____________________ पेन कार्ड नंबर ____________________
6. ई-मेल आईडी : ____________________
7. फोन नम्बर (एस.टी.डी. कोड सहित) : दूरभाष (निवास) ____________________ (कार्या.) ____________________
   मो. नं. ____________________

8. आवेदक का बैंक खाता विवरण : बैंक खाता क्रं ______________________

शाखा का नाम ______________________

IFSC Code ______________________

9. व्यवसाय : ______________________

10. वार्षिक आय : अ) व्यक्तिगत ______________________

ब) परिवार ______________________

11. वर्ग (आरक्षित वर्ग के हितग्राही सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : ______________________

12. आवेदक द्वारा नामित व्यक्ति का नाम : ______________________ उम्र ________

एवं विवरण आवेदक से संबंध ______________________

पता ______________________

दूरभाष/मोबाईल नंबर ______________________

आवेदक द्वारा घोषणा

मेरे/हमारे द्वारा इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न मण्डल के नियम तथा योजना से संबंधित विवरण/शर्तो कि जानकारी प्राप्त कर ली गई हैं। लॉटरी द्वारा पंजीयन/भवन आबंटन प्राप्त ना होने पर मेरा/हमारा कोई दावा नहीं होगा। संलग्न नियम शर्तो पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर किए गए है।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:-

1. आवेदक यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहा है, उसका प्रमाण-पत्र।
2. आय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)।
3. निर्धारित प्रारुप में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र
4. पंजीयन राशि रू __________ बैंकर्स चेक/बैंक ड्रॉफ्ट/चालान क्रमांक. ______________________
   दिनांक __________ बैंक का नाम ______________ शाखा का नाम ______________________

स्थान .... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक..................................... पूरा नाम ______________________

कार्यालय उपयोग हेतु

उपरोक्त आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी तथा संलग्न दस्तावेजों कि जॉच की गई/आवेदक का पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जावे।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4,
शंकर नगर, रायपुर

भवन आबंटन संबंधी नियम / शर्तें

1. भवन के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र सूचना केन्द्र छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर एवं संपदा अधिकारी/कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के समस्त कार्यालयों तथा मण्डल की पंजीकृत अभिकर्ताओं से EWS हेतु रू. 200/- एवं LIG रू. 300/- नगद भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे।

2. आवेदन पत्र के साथ EWS हेतु रू. 15000/- एवं LIG हेतु रू. 30000/- के साथ पंजीयन राशि बैंकर्स चैक/डी.डी./RTGS के माध्यम से सूचना केन्द्र, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/संपदा अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-04, शंकर नगर कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग-02, शंकर नगर, रायपुर, कार्यालय सहायक अभियंता, बोरियाकला एवं हिमालयन हाईट्स, जैन पब्लिक स्कूल के सामने, डूमरतराई, रायपुर में जमा किये जावेंगे।

3. भवन का आबंटन मण्डल की आवासीय योजनाओं के लिए आरक्षण नियमों के अनुसार होगा। जिसमें (1) अनुसूचित जाति 6% (2) अनुसूचित जनजाति 4% (3) पिछडा वर्ग 6% (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 1% (5) सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2% (6) शारीरिक विकलांगो के लिए 3% (7) निराश्रित एवं विधवा महिलाओं के लिए 2% (8) पत्रकार 2% (9) शासकीय कर्मचारी (रायपुर) के लिए 5% (10) तृतीय लिंग समुदाय/एच.आई.वी. संक्रमित वर्ग के लिए 2% ।उपरोक्तानुसार आरक्षण में किसी प्रवर्ग में रिक्त प्रतिशत के हितग्राही उपलब्ध नही होने की स्थिति में उसकी पूर्ति अनारक्षित वर्गो से की जावेगी।

4. विज्ञापन में दर्शित पंजीयन अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध भवनों की संख्या से अधिक प्राप्त होती है तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। लाटरी के समय पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों का नाम लाटरी में नहीं निकलेगा उनकी जमा पंजीयन राशि मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेगी

5. पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा। भवन रिक्त होने की स्थिति में मण्डल परिपत्रानुसार परिवर्तन शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में अंतिम निर्णय मुख्यालय का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. LIG के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा रु. 300001/- (रुपये तीन लाख एक) से रु.6,00,000/- (रुपये छः लाख) एवं EWS के लिए वार्षिक आय सीमा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख) (अधिकतम) पात्रता माप दण्ड है। LIG एवं EWS के हितग्राहियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है।

7. पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी। पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर भवन के मूल्य का 1½% (डेढ़ प्रतिशत) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।

8. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें निर्धारित समय पर जमा करना होगा, अन्यथा निर्धारित समय पर किश्त प्राप्त न होने की दशा में नियमानुसार विलंबित अवधि का ब्याज देय होगा।

9. पंजीयन पश्चात् आबंटन आदेश में दिये गये तालिकानुसार प्रथम किश्त की राशि के साथ सभी चार समान किश्तें एकमुश्त जमा करने पर आबंटी को सम्पति के विक्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान की जावेगी।

10. पंजीयन पश्चात् तालिका में अंकित प्रथम अथवा द्वितीय किश्त जमा करने के पश्चात् शेष किश्तों की राशि को एकमुश्त जमा करने पर, जमा दिनांक से अंतिम किश्त की तिथि तक नियमानुसार ब्याज दिया जावेंगा।

11. मण्डल द्वारा योजना में विलम्ब की स्थिति में संपदा अधिकारी देय किश्तों का पुनः निर्धारण कर समय पर हितग्राहियों को सूचित करेंगे।

12. प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत :-

(अ) केन्द्र शासन की प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत हितग्राही को अनुदान तथा ब्याज में छूट दी जायेगी। प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. का संभावित मूल्य रु. 5.76 लाख है। पात्र हितग्राही को रु.1.50 लाख का नगद अनुदान केन्द्र शासन द्वारा दिया जाएगा। एल.आई.जी. का संभावित मूल्य रु. 9.38 लाख है। ब्याज सब्सीडी के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा पात्र हितग्राही को अधिकतम आवास ऋण रु. 6.00 लाख पर 6.5 प्रतिशत की दर से राशि अपफ्रन्ट पद्धति से प्राप्त ब्याज सब्सिडी उसके खाते में जमा की जावेगी, जो कि 15 वर्षो के लिए ऋण लेने पर रु. 2.30 लाख संभावित है। इस प्रकार हितग्राही लिए गए लोन पर 2.30 लाख की कटौती कराने एवं ई.एम.आई. पूर्ववत जमा करने पर ऋण राशि निर्धारित 15 वर्ष से बहुत पहले समाप्त हो जावेगी अथवा हितग्राही चाहे तो अपनी ई.एम.आई. की राशि कम कराते हुए 15 वर्ष तक जमा कर सकता है।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ब) भवन का पंजीयन/आबंटन परिवार के महिला सदस्य के नाम पर किया जावेगा। महिला आवेदक या महिला आवेदक के साथ परिवार के संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है। आवेदक के नाम पर अन्य कोई पक्का भवन/मकान नही होना चाहिए। आवेदक शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। अर्थात आवेदक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका निगम के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

(स) अनुदान प्राप्त करने हेतु संलग्न निर्धारित प्रपत्र ''ख'' में जानकारी अनिवार्य रुप से उपलब्ध करावे। (आवश्यक दस्तावेज के साथ) विस्तृत जानकारी www.mhupa.gov.in में उपलब्ध।

13. मण्डल द्वारा अनुमोदित अंतिम मूल्य निर्धारण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति पश्चात् आबंटी को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आबंटी को भवन के मूल्य पर आपत्ति हो तो मण्डल में जमा राशि नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकेगा।

14. स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रकोष्ठ भवनों का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय के नियमों के तहत् किया जावेगा। भवनों में निर्माण हेतु स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत निर्धारित तालिका में जो राशि विभिन्न तिथियों पर भुगतान हेतु निर्धारित हैं, निर्धारित समय पर देना होगा। विलंब हेतु नियमानुसार ब्याज देय होगा।

15. जहां प्रकोष्ठ भवनों में भूतल पर कव्हर्ड पार्किंग का प्रावधान रखा गया हैं, उसका उपयोग संबंधित ब्लॉक के आबंटी सामूहिक रूप से बिना विवाद करेंगे।

16. कॉलोनी निर्मित होने के 18 माह के भीतर कॉलोनी स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में समस्त हितग्राहियों, चाहें वे स्वतंत्र भवन या प्रकोष्ठ भवन के हितग्राही हों मिलकर फर्म एवं सोसायटी एक्ट के अंतर्गत सोसायटी के गठन पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। प्रकोष्ठ भवनों कि सामूहिक व्यवस्थाओं के रख-रखाव हेतु भवन के विक्रय मूल्य का 5% अतिरिक्त राशि ली जावेगी। पंजीकृत सोसायटी को रख-रखाव मद में जमा राशि में से व्यय की गई राशि काटकर शेष राशि मण्डल के नियमानुसार प्रदान किया जावेगा। मण्डल द्वारा 18 माह के पश्चात् किसी भी स्थिति में कॉलोनी रख-रखाव का कार्य नहीं किया जायेगा।

17. पत्र व्यवहार हेतु आवेदक अपना पता, फोन नंबर/मोबाईल नंबर, ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से आवेदन फार्म में अंकित करें। अधूरे एवं गलत पते के कारण अथवा डाक व्यवस्था के कारण सूचना नहीं मिलने पर जवाबदारी मण्डल की नहीं होगी।

18. उक्त योजनांतर्गत मण्डल द्वारा समय-समय पर लागू किए गए नियम एवं शर्तो को मानने के लिए आवेदक बाध्य रहेगा।

19. भवन पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में हितग्राही, यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करते हैं तो भवन में सुरक्षा हेतु मण्डल के नियमानुसार निर्धारित दर से सुरक्षा शुल्क देय होगा। अन्यथा आबंटन निरस्त कर अन्य आवेदक को भवन आबंटन किया जावेगा।

20. पंजीयन के पश्चात् तालिका में अंकित किश्तें समय पर चुकाना होगा, किश्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल पंजीयन निरस्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

21. किसी भी कारण से यदि आधिपत्य लेने में आबंटी की ओर से देरी होती है तो कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी आबंटन निरस्त कर सकते है। आबंटी को यदि समयावधि प्रदान की जाती है तो सुरक्षा शुल्क का आबंटी द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होगा।

22. आधिपत्य लेने के संबंध में यदि हितग्राही द्वारा आना-कानी किया जाता है अथवा भवन के स्थिति के संबंध में प्रोटेस्ट अथवा अभ्यावेदन देते हैं ऐसी स्थिति में यदि उनकी शिकायत अथवा प्रोटेस्ट या अभ्यावेदन सही पाया जाता है, तो मण्डल उसे 02 माह के भीतर भवन में आवश्यक सुधार/समाधान कर आधिपत्य देगा। यदि हितग्राही उस सुधार/समाधान से सहमत नही है तो आबंटन निरस्त कर उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थातंरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा तथा आबंटी अन्य किसी प्रकार के मुआवजा आदि के लिए हकदार नहीं होंगे।

23. ऐसे पंजीयनकर्ता जो शासन व वित्तीय संस्था सें भवन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मण्डल द्वारा निर्धारित ऋण प्रमाण-पत्र मांग अनुसार प्रदाय किया जावेगा किन्तु तालिका में निर्धारित राशि जमा करने की तिथियों को शिथिल नहीं किया जावेगा एवं तदानुसार निश्चित दिनांक को रकम जमा करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

24. यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों से स्व-वित्तीय योजनांतर्गत किश्तें जमा करने के लिए हितग्राही द्वारा समयावधि बढ़ाई जाने की मांग की जाती हैं तो उक्त बढ़ाई गई अवधि के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज, हितग्राही को जमा करना होगा।

25. विज्ञापन में दर्शायी गई कीमत अनुमानित है, भवन की अंतिम मूल्य, वास्तविक व्यय के आधार पर मण्डल के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूर्ण होने पर निर्धारित किया जावेगा, जो आबंटी को मान्य होगा ।

26. (अ) भवन के विज्ञापित अनुमानित मूल्य के अतिरिक्त अग्रिम लीजरेन्ट, भू-संधारण शुल्क, कामन सर्विस चार्सेस, बीमा शुल्क तथा राज्य शासन के अन्य प्रभार एवं नल कनेक्शन प्रभार नियमानुसार पृथक से आबंटन/आधिपत्य पूर्व जो कि भवन के मूल्य का लगभग 10% होगा, पृथक से देय होगा। स्थानीय निकाय, राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा यदि कोई अन्य शुल्क प्रभारित किया जाता हैं तो वह भी पृथक से देय होंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर

(ब) हितग्राहियों को भवन आधिपत्य लेने के पश्चात् स्वयं के व्यय से विद्युत कनेक्शन एवं नल कनेक्शन नगर निगम/छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल से आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त करना होगा।

27. पंजीयन एव किश्तों की निर्धारित तिथियों में अपरिहार्य कारणों से अवकाश होने की दशा में देय राशि अगले कार्य दिवस को स्वीकार की जावेगी । किश्त राशि जमा करने पृथक से सूचना नही दी जावेगी।

28. भवन के डिजाईन तथा स्पेसीफिकेशन मण्डल द्वारा ही तय किये जायेंगे, बुकलेट में दर्शाये गए स्पेशिफिकेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए मण्डल स्वतंत्र है। इसमें व्यक्तिगत अथवा सामूहिक आवेदन पत्रों के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं न ही कोई दावा मान्य होगा।

29. स्व-वित्तीय योजना अंतर्गत आबंटित भू-खण्ड पर मण्डल द्वारा भवन निर्माण हेतु रू. 50/- के नान-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर भवन के आबंटन पश्चात् सहमति निर्धारित प्रारुप में आबंटी को देना होगा।

30. अन्य जानकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय के सूचना केन्द्र/संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र/संभाग कार्यालय से कार्य अवधि में प्राप्त की जा सकती हैं एवं मण्डल के वेबसाईट www.cghb.gov.in में देखा जा सकता है।

31. भवन आबंटन के उपरांत किसी भी अपरिहार्य कारणों से आबंटन रद्द करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा ।

32. ऐसी योजना/योजनाऍं जिनमें पर्याप्त संख्या में पंजीयन प्राप्त नहीं होते अथवा भूमि विवाद या अन्य कारण से योजना/योजनाओं ली जानी मण्डल हित में नही होगा, संपूर्ण योजना या योजना का कुछ भाग निरस्त करने हेतु मण्डल स्वतंत्र होगा तथा इस कारण पंजीयनकर्ता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। पंजीयनकर्ताओं को उनकी जमा राशि 7.5% ब्याज के साथ उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये बैंक खाते में स्थानांतरित कर या चेक द्वारा वापस किया जायेगा।

33. इस योजना को लेकर यदि कोई भूमि अथवा न्यायालयीन विवाद होता है तो योजना में विलंब हो सकता है जिस हेतु पंजीयनकर्ताओं को पृथक से कोई ब्याज अथवा हानि अथवा मुआवजा नहीं दिया जायेगा। ऐसे विवादों के कारण यदि आबंटन रद्द भी होता है तो पंजीयनकर्ताओं को किसी भी प्रकार से ब्याज/हानि/मुआवजा नहीं मिलेगी। इन शर्तो को पंजीयनकर्ताओं को मंजूर हैं, जानते हुए भवनों का आबंटन किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में पंजीयनकर्ता स्वतः पंजीयन रद्द/वापस करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु पृथक से किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

34. इस आवेदन-पत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य साबित होने पर मण्डल को अधिकार होगा कि आबंटन रद्द कर दें।

35. पंजीयन/आबंटन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, शंकर नगर, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

36. मण्डल में प्रचलित अन्य नियम भवन आधिपत्य के पश्चात् या पहले सभी हितग्राहियों को मान्य होंगे एवं उनके अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी।

37. भवन का आधिपत्य 03 साल 06 माह में अथवा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर दिया जायेगा।

38. भवन का पूर्ण मूल्य निर्धारित तालिकानुसार किश्तों में हितग्राही को देनी होगी किन्तु भवन का आधिपत्य निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दिया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4
शंकर नगर, रायपुर

आवेदक द्वारा घोषणा

उपरोक्त बिन्दु क्रमांक-01 से 38 तक सभी नियम/शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर समझ ली है। मुझे समझा दी गई है तथा मुझे मान्य है। मैं उक्त निमय/शर्तो का पालन करने का वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

स्थान ....

दिनांक ....

शपथ-पत्र

मैं वचन देता हूँ कि मुझे भवन आबंटन होने की स्थिति में:-

1. मैं भवन का उपयोग केवल आवास हेतु करूंगा।
2. मैं मण्डल द्वारा निर्धारित किश्त एवं अन्य प्रभार जो समय-समय पर भारित होगें, का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
3. मैं शासन/स्थानीय शासन द्वारा निर्धारित प्रभार/कर आदि का नियमित रूप से भुगतान करूंगा।
4. मेरे अथवा परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भवन अथवा प्रकोष्ठ भवन नही है अथवा आबंटन हेतु परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है।
5. मुझे भलीभांति ज्ञात है कि भवन का निर्माण विशिष्ट तकनीक से किया गया है। अतः भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन या तोड़-फोड़ नही करुंगा।
6. आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त नियम/शर्तें मुझे मान्य है। सभी प्रकार के मण्डल के नियमों का पालन करुंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम..

पता..

....

....

फोन नं. ....

मोबाईल नं. ....

नोट:-

1. जहां-जहां मण्डल का जिक्र किया गया है, उसका आशय संबंधित कार्यपालन अभियंता/संपदा अधिकारी/मण्डल कार्यालय से है।
2. परिवार का आशय पति/पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चे तथा आश्रित माता-पिता एवं भाई-बहिन।

आवेदक के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभ हेतु आवेदन पत्र

प्रारूप ख – लाभार्थी से मांगी जाने वाली सूचना

1- ifjokj ds eqf[k;k dk uke

2- fyax [iq:"k: 01] efgyk: 02]

3- firk dk uke

4- orZeku irk vkSj lEidZ C;kSjk

i. edku la-

ii. Lye dk uke

iii- 'kgj

iv- eksckby la[;k

5- LFkk;h irk

i- edku/¶ySV/}kj la-

ii. xyh dk uke

iii. 'kgj/xkao

iv. ftyk] jkT;

6- ekStwnk edku dk ekfydkuk C;kSjk
[LokfeRo – 01] fdjk;k – 02] vU; – 03]

7- Nr ds vk/kkj ij edku dk çdkj
[iDdk ¼lhesUV dØhV vkSj iRFkj okyk½&01] vnZ/k&iDdk ¼lhesUV dh pknj / LVhy dh pknj] Vkby ls cuk gqvk,½&02] dPpk ¼?kkl/NIij] frjikY] ydMh ls cuk½&03]

8- jlksbZ?kj dks NksM+dj fjgk;'kh bdkbZ esa dejksa dh la[;k

9- vk/kkj dkMZ la[;k ¼;fn miyC/k ugha gS rks ernkrk igpku i=/dkbZ vU; fof'k"V igpku la[;k vFkok ykHkkFkhZ ds ewy fuokl ftys ds jktLo çkf/kdkjh ls edku LokfeRo dk çek.k&i=½

10- ifjokj ds lnL;ksa dh la[;k vkSj vk;q

ifjokj ds eqf[k;k ls lac/k	fyax	vk;q	vk/kkj/ernkrk igpku i=/dkbZ vU; fof'k"V igpku la[;k vFkok ykHkkFkhZ ds ewy fuokl ftys ds jktLo çkf/kdkjh ls edku LokfeRo dk çek.k&i=

11- /keZ
[fgUnw&01] eqfLye&02] bZlkbZ&03] fl[k&04] tSu&05] ckS)& 06] ikjlh&07] vU;¼mYys[k djs½]

12- tkfr
[lkekU;&01] vuqlwfpr tkfr&02]
vuqlwfpr tutkfr&03] vU; fiNMk oxZ&04]

13- cSad dk C;kjk

d- cSad [kkrk la[;k
[k- cSad vkSj 'kk[kk dk uke

14- bl dLcs 'kgj esa jgus dh o"kkZsa esa la[;k
[0 ls 1 o"kZ &01] 1 ls 3 o"kZ& 02] 3 ls 5 o"kZ& 03] 5 o"kZ ls vf/kd&04]

15- eksckbZy nwjHkk"k fjgk;'kh bdkbZ dk vkdkj ¼dkjisV {ks= oxZ ehVj esa½

16- D;k ifjokj ds ikl Hkkjr esa dgha Hkh viuk edku/fjgk;'kh Hkwfe gS\ ¼gka/ugha½
x- ;fn gka] rks LFkku dk C;kjk nsaA
¼cLrh/ 'kgj/ jkT;½
?k- ;fn gka] rks oxZ ehVj esa Hkwfe dk C;kjk nsaA

17- jkstxkj dh fLFkfr
¼Lo&jkstxkj & 01] osruHkksxh & 02] fu;fer etnwjh& 03] etnwj & 04] vU; & 05½

18- ifjokj dh vkSlr ekfld vk; ¼:i, esa½

19- D;k ifjokj ds ikl chih,y dkMZ gS ¼gka / ugha½
d- ;fn gka] chih,y dkMZ la[;k nsaA

20- ifjokj dh vkokl vko';drk
¼u;k ?kj& 01] o`f) & 02½

21- o`f) ds ekeys esa –i;k vius o`f) dk mYys[k djsaA
[,d dejk/jlksbZ ?kj/Luku ?kj/'kkSpky; vFkok ;s lHkh lq;qDr :i ls]

22- fe'ku ds ?kVd dh çkFkfedrk ftlds vUrxZr lHkh ds fy, vkokl ¼,p,Q,½ ds rgr ykHkkFkhZ dks lgk;rk dh vko';drk gS
i- _.k ls tqM+h lfClMh& 01
ii- Hkkxhnkjh esa fdQk;rh vkokl& 02
iii- Lo&fuekZ.k& 03

ifjokj ds eqf[k;k ds gLrk{kj/vaxBs dk fu'kku

ukV: *vius= Lye okfl;ksa vkSj mu Lyeksa ds ykHkkfFkZ;ksa ds fy, ,sls gh çk:i dk mi;ksx fd;k tk;sxk ftuds fy,"lHkh ds fy, vkokl" Ldhe ds fn'kkfunsZ'kksa ds i"B la- 24 ij lHkh ds fy, vkokl dk;Z ;kstuk ds ¶ysx&pkVZ çfØ;k ds vuqlkj futh Hkkxhnkjh ds ek/;e ls Lye iqufoZdkl ds fy, fopkj ugha fd;k x;k gSA

mi;qDr lwpuk ds 'kgjh LFkkuh; fudk; çHkkjh ds çfrfuf/k ds gLrk{kj

प्रधानमंत्री आवास योजना
कमल विहार, रायपुर

फ्लैट
रु. 4.26
लाख में

फ्लैट का कारपेट क्षेत्र	सुपर बिल्टअप एरिया
289.65 वर्ग फुट	383.08 वर्ग फुट

फ्लैट
रु. 7.38
लाख में

फ्लैट का कारपेट क्षेत्र	सुपर बिल्टअप एरिया
430.01 वर्ग फुट	617.83 वर्ग फुट